भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-45**

उत्तर देने की तारीख-03/12/2025

**देश में एकल-शिक्षक विद्यालयों की अधिक संख्या**

45 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूडीआईएसई+ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,04,125 एकल-शिक्षक विद्यालय कार्यशील हैं;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार की, शिक्षकों पर काम के अत्यधिक बोझ के कारण होने वाली थकान और छात्रों पर वैयक्तिक रूप से ध्यान न दे पाने जैसी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करने की योजना है; और
(ग) क्या मंत्रालय दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण समाधानों, क्लस्टर संसाधन केंद्रों या शिक्षक-साझाकरण तंत्रों को एकीकृत करने पर विचार कर रहा है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्री**

**(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

**'देश में एकल-शिक्षक विद्यालयों की अधिक संख्या' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 03.12.2025 को राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 45 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, पारिश्रमिक और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, केंद्र सरकार समय-समय पर यथा संशोधित बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

यूडाइज़+ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, देश में एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 1,04,125 है।

एनईपी 2020 शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली में किसी भी मूलभूत सुधार के केंद्र में रखता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग किया जाता है। समग्र शिक्षा के तहत मध्यवर्तनों का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में भौतिक मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करना; राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सहयोग देना है ताकि वे प्रभावी ढंग से और कुशलता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा प्रदान कर सकें, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एसई) के अनुवर्ती के रूप में राज्य-विशिष्ट पाठ्यक्रम रूपरेखा पर शोध और विकास कर सकें, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण; बीआरसी/सीआरसी आदि के माध्यम से स्कूलों को निरंतर शैक्षणिक सहायता प्रदान कर सकें।

सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से चरणबद्ध तरीके से केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी कार्यरत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, सरकार ने अब तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 125 डीआईईटी के उन्नयन हेतु 917.09 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 121 डीआईईटी के उन्नयन हेतु 1,512.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के संदर्भ में, सरकार ने शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) पर एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मिशन (एनएमएम) पर एक ब्लूबुक जारी की है। एनपीएसटी विभिन्न चरणों/स्तरों पर शिक्षकों की दक्षताओं

को परिभाषित करता है। एनएमएम पर ब्लूबुक में स्कूल शिक्षकों के मार्गदर्शन के विभिन्न तौर-तरीके शामिल हैं जिससे उनकी क्षमता का निर्माण हो सके।

एनसीटीई ने आईटीईपी को अधिसूचित किया है, जो शिक्षा के साथ-साथ कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि में विशेषज्ञता प्राप्त 4 वर्षीय एकीकृत दोहरी प्रमुख स्नातक डिग्री है। इसका उद्देश्य उत्साही, प्रेरित, योग्य, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और सुप्रशिक्षित शिक्षकों का विकास करना है। आईटीईपी के लिए प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा राष्ट्रीय समान प्रवेश परीक्षा (एनसीईटी) के माध्यम से दिया जाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 शिक्षकों के गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है और उन्हें कानूनी रूप से अनुमत स्थितियों जैसे आपदा राहत, जनगणना के अलावा शिक्षा से असंबंधित कार्यों में लगाए जाने से सरक्षण प्रदान करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर उपरोक्त सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाया जाता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरकर 30:1 से कम छात्र-शिक्षक अनुपात के एनईपी 2020 के विजन को प्राप्त करने के लिए बार-बार बल दिया है।

ये पहल सामूहिक रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षक की क्षमताओं, शैक्षणिक कार्य पद्धतियों और अकादमिक सहायता संरचनाओं को सुदृढ़ करने में सहायता करती हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और शैक्षणिक दिशानिर्देश कक्षा नियोजन, प्रासंगिक सामग्री वितरण और स्थानीय रूप से प्रासंगिक सामग्रियों को शामिल करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक लोचशीलता प्रदान करते हैं। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सार्वलौकिक संसाधन प्रदान करते हैं जिन्हें शिक्षक अनुकूलित कर सकते हैं।

शिक्षा में डिजिटल विभाजनख, विशेष रूप से महामारी के बाद, को कम करने के लिए, ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जो शिक्षा तक बहु-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इस पहल के प्रमुख घटक हैं दीक्षा - राष्ट्र की डिजिटल अवसंरचना, कक्षा 1 से 12 तक के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल, डिजिटल पुस्तकों और ई-सामग्री का प्रसार करने के लिए ई-पाठशाला पहल, वास्तविक जादूई पिटारा की कमी को पूर्ण करने एवं उसमें वृद्धि करने हेतु ई-जादुई पिटारा डिजिटल ऐप, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर निर्मित वर्चुअल प्रयोगशालाओं पर एक वर्टिकल जहाँ कक्षा 6 से 12 तक के विषयों के लिए विज्ञान और गणित के लिए वर्चुअल प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई गई हैं, समग्र शिक्षा में कक्षा VI और उससे ऊपर के स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाओं का भी प्रावधान है। दीक्षा पर विभिन्न एआई विशेषताएं उपलब्ध हैं - दीक्षा से पूछें (पुस्तकों के साथ चैट करें), वीडियो कीवर्ड खोज, जोर से पढ़ें और एआई-आधारित संक्रमण, जो व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण (पीएएल) के लिए उपयोगी हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय पहल भी शुरू की है, जिसे केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए निष्ठा राष्ट्रीय पहल कहा जाता है। निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। निष्ठा ऑनलाइन को अक्टूबर, 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। निष्ठा प्रशिक्षण को वर्ष 2021-22 में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद, निष्ठा को मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक भी विस्तार कर दिया गया।

******